

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पत्र क्र. 7718 / अशा.मान्यता / 2023
प्रति,

रायपुर, दिनांक 09/01/2023

प्राचार्य,
समस्त अशासकीय मान्यता प्राप्त शालाएँ,
छत्तीसगढ़

विषय :- अशासकीय हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के नवीन शाला खोलने हेतु विभागीय अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- 1. छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक एफ-2-39/2019/20-दो नया रायपुर दिनांक 09.09.2022
2. छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर का क्रमांक/6367/अशा.मान्यता/2022 दिनांक 03.01.2022

-0-

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संबंधित पत्रों के अनुसार विभागीय अनुमति/नवीनीकरण के संबंध में उक्त आदेश एवं पत्र के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 09.09.2022 में स्पष्ट उल्लेख है कि हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी नवीन शाला खोलने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी से विभागीय अनुमति की आवश्यकता होगी, परंतु नवीनीकरण के लिये किसी भी प्रकार की विभागीय अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नवीनीकरण हेतु मान्यता प्राप्त शालाएँ सीधे छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल को आवेदन प्रस्तुत करेंगी।

संलग्न:- संदर्भित आदेश एवं पत्र की छाया प्रति।

दिनांक 09/01/23

सचिव

छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

पृ.क्रमांक / / अशा.मान्यता / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक / / 2023

श्री राजेश सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष, छ.ग.शिक्षा जागृति संघ, रायपुर, कार्यालय कल्याण पब्लिक स्कूल परिसर, खम्हारडिह, शंकरनगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मंडल
रायपुर